मैसर्स एम.बी. पटेल एवं कंपनी

बनाम

तेल और प्राकृतिक गैस निगम

(दीवानी अपील संख्या 7340/2002)

8 मई, 2008

[एच. के. सेमा और मार्कंडेय काटजू, न्यायाधिपतिगण]

मध्यस्थताः

मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णय-उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त – अभिनिर्धारितः मध्यस्थ के द्वारा माध्यस्थम करार के खंड 14 पर विचार नहीं किया- खंड 18 के उलँघन में ब्याज भी दिया गया-उच्च न्यायालय अधिनिर्णय को अपास्त करने के तर्कों मे सही था- मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ें और मामले पर उच्च न्यायालय के निर्णय में दिए गए तर्कों के प्रकाश में विचार करेंगे।

अपीलीय अधिकारिताः दीवानी अपील संख्या 7340/2002

गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद पीठ के प्रथम अपील संख्या 418/1986 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 11.7.2000 के विरूद्

अपीलार्थी की ओर की से :-रमेश सिंह, अंकुर सहगल, गौरव सिंह और बीना गुप्ता उपस्थित।

प्रत्यर्थी की ओर की से :-बी. दत्ता, ए. एस. जी., के. आर. शशिप्रभु और आर. चंद्रचूड़ उपस्थित ।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया

यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद पीठ के प्रथम अपील संख्या 418 / 1986 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 11.7.2000 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ द्वारा पारित अधिनिर्णय दिनांकित 03.05.1985 को अपास्त किया था, के खिलाफ दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कारणों से उपरोक्त अधिनिर्णय को रद्द कर दियाः

(क) कि एक मध्यस्थ या अंपायर ने कार्यवाही में खुद को अवचारित किया है।

(ख) कि रिकार्ड को देखने मात्र से प्रत्यक्ष त्रुटि प्रतीत होती है क्योंकि मध्यस्थ ने मध्यस्थता करार के खंड 14 एवं 18 की अनदेखी की है।

(ग) कि मध्यस्थ ने कुछ मुद्दों और दावों पर पक्षों के बीच के करार की सीमा से परे यात्रा की है।

(घ) कि उन्होंने एकमुश्त अधिनिर्णय प्रदान कर इसे पूरी तरह से अस्पष्ट बना दिया है।

उपरोक्त आधार पर अधिनिर्णय को अपास्त किया गया ।

वर्तमान मामले में ठेकेदार ने करार के त्याग के लिए Rs.30,425/- का दावा किया। यह पहला दावा था। दूसरा दावा ओ. एन. जी. सी. द्वारा की गई अवैध कटौती के लिए Rs.30,213/- का किया गया था। तीसरा दावा ओ. एन. जी. सी. द्वारा समय पर माल की आपूर्ति नहीं करने के लिए रु. 2,00,000/- का था। चौथा दावा ठेकेदार द्वारा अपने प्रतिष्ठान को जीवित रखने के लिए हुए नुकसान बाबत था और इस शीर्ष पर दावा रु. 3,50,000/- का था। पाँचवाँ दावा लाभ के नुकसान का 20 प्रतिशत राशि की दर से था जो रु. 1,80,000/- था। अंतिम दावा 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का था।

जैसा कि पूर्व मे ही प्रकट किया गया है कि मध्यस्थ ने रुपये. 5,98,438/- का एकमुश्त पॅचाट अधिनिर्धारित किया। हम उच्च न्यायालय के इस तर्क से सहमत हैं कि यह अधिनिर्णय दुर्बोध है।

मध्यस्थता समझौते का खंड 14 निम्नानुसार हैः " निर्माण में देरी (निगम दोषपूर्ण); निगम करार के तहत सामग्री और उपयोगकर्ता के अधिकार जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक परमिट भी शामिल हैं को प्रदान करने के लिए हर उचित प्रभाव डालेगा, ताकि पुनर्निर्माण के निर्माण संबंधी कार्य में देरी ना हो। इनमें से किसी एक शर्त की अनुपलब्धता के कारण ठेकेदार के कार्य स्थल में किसी भी तरह की रुकावट के मामले में किसी भी तरह के मुआवजे का दावा नहीं होगा, केवल समय सीमा के विस्तार की अनुमति दी जाएगी"

उपरोक्त खंड के तहत मुआवजे का कोई दावा नहीं आ सकता चाहे निगम की गलती भी हो।

मध्यस्थता करार का खंड 18 इस प्रकार हैः "राशि पर ब्याज जमा प्रतिभूति या किसी भी राशि जो ठेकेदार को करार के अधीन देय हो पर कोई ब्याज देय नहीं होगा"।

मध्यस्थ ने राशि पर 12 प्रतिशत की दर से प्रभावी 09.02.1984 से 03.05.1985 (वाद के लंबित होने पर) ब्याज दिया है। उन्होंने उपरोक्त 1 और 3 में दर्शाई गई राशि पर उस तारीख से 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज भी दिया है , जो डिक्री पारित करने की तिथि की या भुगतान की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो तक के लिये दिया है।

उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ ने मध्यस्थता करार के खंड 14 पर बिल्कुल विचार नहीं किया। करार के खंड 14 का उल्लंघन करते हुए ब्याज को

अधिनिर्णीत किया गया है, अन्य के अलावा मध्यस्थ द्वारा इन दो विधिक आधारों पर विचार नहीं किया गया, अतः हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत हैं। मध्यस्थ उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान मे रखते हुए आगे बढ सकते हैं। हम मध्यस्थ को उच्च न्यायालय के तर्क के आलोक में नए सिरे से मामले पर विचार करने का निर्देश देते हैं।

उपरोक्त के अधीन, अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सानिया हाशमी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।